<u>समाचार</u>

पेंशन योजनाओं के शेष बचे हितग्राहियों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं

कोरबा 31 अक्टूबर 2025 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर अपर आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने निगम के समस्त जोन उप प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने जोन के अंतर्गत ऐसे शेष बचे सभी पेंशन हितग्राहियों, जिनका सत्यापन अभी तक नहीं किया जा सका है, का वार्षिक सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराएं ताकि पेंशन हितग्राहियों को नियमित पेंशन की प्राप्ति में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न होने पाएं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित केन्द्रीय पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के पेंशन हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन मोबाईल एप के माध्यम से किए जाने हेतु पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत हितग्राहियों का सत्यापन कार्य निगम के सभी जोन में आयोजित शिविरों के माध्यम से कराया गया था किन्तु कुछ हितग्राहियों का सत्यापन कार्य किया जाना अभी भी शेष है। शतप्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन कार्य सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर अपर आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने समस्त जोन उप प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत इस हेतु पुनः मुनादी कराएं तथा हितग्राहियों को उनके आधार कार्ड व मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए सत्यापन का कार्य पूरा कराएं ताकि हितग्राहियों को नियमित पेंशन प्राप्ति में किसी प्रकार की समस्या पैदा न हों तथा उन्हें नियमित रूप से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो सके। वहीं हितग्राहियों से भी अपील की गई है कि वे वार्षिक सत्यापन कार्य में सहयोग करें तथा अनिवार्य रूप से अपना सतयापन करा लें ताकि उन्हें नियमित पेंशन प्राप्त होने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।